

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी अभियान में जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बबू चौहान पुत्र महन्थ राम नि० नन्दौर बलगर पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-73/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भीम सिंह पुत्र बेनी प्रसाद नि० सहजोत डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-57/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामनाथ पुत्र सोभाराम, 02. राहुल पुत्र रामनाथ नि० ग्राम पिपरा भिटौरा भीखी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-78/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केशव वर्मा पुत्र स्व० राम खेलावन वर्मा नि० इटवा बस्ती खास थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-278/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.04.2021

शातिर चोर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार, चोरी का ट्रैक्टर-ट्राला व मोटरसाईकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना करनैलगंज पुलिस को शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 07/08.04.2021 की रात्रि थाना प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना होकर वैरागी पुरवा के पास मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर चोर चोरी किया हुआ ट्रैक्टर-ट्राली बेचने हेतु हुजूरपुर रोड पर बहराइच की तरफ से आ रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिसबल द्वारा भितिहा मोड पर पहुँचकर घेराबन्दी करके 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रैक्टर-ट्राला व उसपर लदी 01 अदद बिना नम्बर की मोटरसाईकिल बरामद की गयी। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त योगेश राजपूत के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्तगणों से ट्रैक्टर-ट्राला व उसपर लदी मोटरसाईकिल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त योगेश ने बताया कि यह ट्रैक्टर-ट्राला मेरे द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.21 को बहराइच रोड से तथा मोटरसाईकिल जरवल रोड से चुरायी थी अभियुक्त विपिन सिंह मेरा दोस्त है जो उक्त समान को बेचवाने का काम करता है। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. योगेश राजपूत पुत्र हनुमन्तलाल नि0 धौरहरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. विपिन सिंह पुत्र परवेश सिंह नि0 कुर्था थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-157/21, धारा 41.411.414.420.467.468.471 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-158/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद ट्रैक्टर।
02. 01 अदद ट्राला।
03. 01 अदद मोटरसाईकिल।
02. 02 अदद नम्बर प्लेट।
05. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज संतोष कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.04.2021

**थाना खरगूपुर द्वारा अवैध तमंचा व चाकू के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार,
चोरी का सामान बरामद—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना खरगूपुर पुलिस को चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मु0अ0सं0-59/21, 457,380 भादवि थाना इकौना जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित चोरी के जेवरात, अभियुक्त अकबर अली के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त बजरंगी के कब्जे से 01 अदद नाजाजय चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अकबर अली उर्फ ननके पुत्र अमीर अली नि0 दरगाह शरीफ घोशियाना थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
02. बजरंगी पुत्र रामफेरन नि0 दरगाह शरीफ घोशियाना थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 103/21 धारा 41 सी0आर0पी0सी0 व 411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 104/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 105/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. 01 अदद माला पीली धातु।
02. 01 अदद झुमकी पीली धातु।
03. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
04. 01 अदद नाजाजय चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.04.2021

थाना धानेपुर द्वारा चोरी का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना धानेपुर ने चोरी के वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना धानेपुर के उ०नि० अमरनाथ मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त खान मोहम्मद को अलावल देवारिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त मु०अ०सं०-24/21, धारा 379.411.413 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. खान मोहम्मद उर्फ खाने पुत्र पीरू नि० बुधईपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-110/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अमरनाथ।
02. उ०नि० राम आशीष मौर्या।
03. हे०का० दयानन्द मौर्या।